This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 23 नवम्बर, 2015 / 2 अग्रहायण, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

31 अक्तूबर, 2015

संख्याः होम–बी (ए) 3–3/2012–जे.ए.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी में **प्रणाली विश्लेषक, वर्ग–I** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध –क और ख के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी प्रणाली विश्लेषक, वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

——————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला में प्रणाली विश्लेषक वर्ग–I, (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नामः**—— प्रणाली विश्लेषक

2. **पद (पदों) की संख्याः**—— 1 (एक)

3. **वर्गीकरणः**—— वर्ग–I (राजपत्रित) अलिपिकीय वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमानः**—— (1) नियमित पदधारी के लिए वेतनमान, पे बैण्ड ₹10300–34800 जमा 5400 / – ग्रेड पे
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियॉ स्तम्म सख्ंया 15 क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹15,700 / – प्रतिमास ।

5. **''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः**—— लागू नही।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयुः**—— 45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यथियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः**——***(क) अनिवार्य अर्हता (एं):***——किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिगं / कम्प्यूटर ऐपलिकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।

या

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी / गणित / अर्थशास्त्र / सांख्यकी में स्नात्तकोतर उपाधि या इसके समतुल्य; और

ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऐपलिकेशन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नात्तकोतर डिप्लोमा या इसके समतुल्य ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एपलीकेशन (एम सी ए) में स्नातकोतर उपाधि या इसके समतुल्य ।

या

डोएक सोसाइटी / नेशनल इन्सटीटयूट् ऑफ इलैट्रौनिक्स एण्ड इनफॉरमेशन टेक्नॉलोजी (नीलिट) से ''बी'' श्रेणी का कोर्स ।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगीं या नहीं :—— *आयु* :—— लागू नहीं

शैक्षिक अर्हताः——लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः——दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतताः——शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगाः——(i) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरुप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधर पर । (ii) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (i) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहले से ही सैकण्डमैंट आधार पर लिए गए पदधारी को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देगा उपरोक्त पद के प्रारम्भिक सवंर्ग का गठन करेगा और तत्पश्चात् उपरोक्त स्तम्भ सख्ंया 10 में यथा उपबन्धित भर्ती की पद्धति अपनाई जाएगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः——लागू नही ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः——सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, अकादमी का माननीय संरक्षक ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम आदि अकादमी के माननीय संरक्षक द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः—— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर सविंदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः——

(I) संकल्पनाः——(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला में प्रणाली विश्लेषक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः——निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् और तत्पश्चात् अकादमी के माननीय संरक्षक अनुमोदन से, यथास्थिति पद को नियमित या संविदा के आधार पर भरने के लिए रिक्त पद के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं रखने वाले और इन नियमों मे यथाविहित अन्य पात्रता शर्तो को परिपूर्ण करने वालों के नाम नियोजनालयों से आमंत्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः——संविदा के आधार पर नियुक्त प्रणाली विश्लेषक को 15,700/– रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में **₹** 471/– की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(iii) नियुक्ति /अनुषासन प्राधिकारीः——निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(iv) चयन प्रक्रियाः——संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम अकादमी के माननीय संरक्षक द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः——जैसी अकादमी के माननीय संरक्षक द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(vi) करारः——अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(vii) निबन्धन एवं शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15700/– रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 471/– रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 135 दिन के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति(पर्यावसान) हो जाएगी। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यक्ता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिक्त्सिा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होगें।

16. आरक्षणः––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षाः–––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्तिः––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/

स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों /स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों)को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

———————

उपाबन्ध—"ख"

प्रणाली विश्लेषक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री /श्री मति.....................................पुत्र /.पुत्री श्री..................................निवासी.......................... ....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रणाली विश्लेषक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः—

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रणाली विश्लेषक के रूप में ....से प्रारम्भ होने और..........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात...............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त)समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम ₹ 15700/— (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे अर्थात् ₹ 10300+5400/—) होगी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 471/— रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा ।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित)की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति

अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिक्त्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों)को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी. एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षी की उपस्थिति में

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...............................
....
....
(नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home-B(A)3-3/2012-JA, dated October, 2015. As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: the 31st *October,* 2015

No. Home-B(A)3-3/2012-JA.- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of **System Analyst, Class-I** (Gazetted) in the Himachal Pradesh Judicial Academy, as per Annexure-"A" & "B" attached to this notification, namely:—

Short title and Commencement—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Academy System Analyst, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Home).

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SYSTEM ANALYST (GAZETTED) CLASS-I, IN THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL ACADEMY, SHIMLA.

1. **Name of the post.**— System Analyst

2. **Number of post(s).**—01 (One)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted) Non-Ministerial Services

4. **Scale of Pay.**—Pay scale for regular incumbent:

i) **Pay Band Rs.10300-34800 + Rs.5400/- Grade Pay.**

ii) Emoluments for contract employees: Rs.15,700/- (as per details given in Column 15-A.)

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.—45 years and below.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— ***(a) Essential Qualification(s):***—Bachelor's degree in Computer Science & Engineering/Computer Application/Information Technology or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./Central Government.

OR

i) Master Degree in Physics/ Mathematics/ Economics/Statistics or its equivalent from a recognized University; and

ii) Post Graduate Diploma of atleast one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./ Central Government.

OR

Master Degree in Information Technology/ Computer Science/ Computer Application (MCA) or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./ Central Government.

OR

"B" level Course from DOEACC Society/ National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT).

(b) **Desirable Qualification(s):—**Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age:—*Not applicable

Educational Qualification:— Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a „regular" basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/deputation / transfer is to be made.—(i) On secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government Departments.

(*ii*) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbent already taken on secondment shall be given option for absorption in the office of H.P. Judicial Academy and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test; if the Hon'ble Patron of the Academy so consider necessary or expedient by a written test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Hon'ble Patron of the Academy.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the System Analyst in H.P. Judicial Academy, Shimla will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that the extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) **Post falls out of the purview of the HPPSC:—**The Director, H.P. Judicial Academy after getting approval from the Govt. and thereafter getting approval of the Hon'ble Patron of the Academy, to fill up the post on regular or contract basis, as the case may be, will advertise the details of the vacant post in at least two leading newspapers or/and invite names from the Employment Exchanges having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The System Analyst appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15,700/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 471/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Director, H.P. Judicial Academy, Shimla, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voice test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Hon'ble Patron of the Academy.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the Hon"ble Patron of the Academy, from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) **TERMS AND CONDITIONS:—** (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.15,700/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs. 471/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the System Analyst and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Himachal Pradesh Judicial Academy, Shimla.

This agreement is made on this ___ th day of ___ in the year, __ Between Sh/Smt._____ s/o Sh._________, resident of ___________. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, H.P. Judicial Academy, Shimla, H.P. (hereinafter the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **System Analyst** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **System Analyst** for a period of one year commencing on ___ day of _______ and ending on the day of __________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on __________. And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15700/- (minimum of Pay Band plus Grade Pay of the post i.e. Rs.10300+5400/-). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.471/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Provided that the un-availed Casual Leave, Medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

7. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

8. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____________

____

Name & Full Address

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ______________

(Name & full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ________________

____

Name & Full Address

Signature of the SECOND PARTY.

2. ______________

____

Name and Full Address.

कार्मिक विभाग
सचिवालय प्रशासन सेवाएं–I

अधिसूचना

शिमला–2, 19 नवम्बर, 2015

संख्याः कार्मिक (स0प्र0–I)ए(3)–1/93.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 17–07–1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) **निजी सचिव, वर्ग–I** (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:——

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) निजी सचिव वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–"अ" का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1995 के उपाबन्ध "अ" के स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :——

"निजी सहायक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पॉच (05) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पॉच (05) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक में से, प्रोन्नति द्वारा, जिसका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्ततः 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रुप में तीन (03) वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा"।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसें डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकल के लिए गणना मे ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

[*Authoritative English text of Government Notification No. Per (SAS-I) (A)* (3)-1/93 *dated* 19-11-2015 *as required under clause*-(3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

PERSONNEL DEPARTMENT
SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES-I

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 19th *November,* 2015

No. Per (SAS-I) (A) (3)-1/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules to amend the **Private Secretary, Class-I** (Gazetted), in the Department of Personnel (Secretariat Administration) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide this notification of even number dated 17.07.1995, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration) Private Secretary Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

2. Amendment of Annexure-"A".— In Annexure-"A" in Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration) Private Secretary Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 for the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Personal Assistant, who possesses five (05) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Personal Assistant who possess as sixteen (16) years of regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer, which shall also include three (03) years essential service as Personal Assistant."

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules**:**

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less ;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible Person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,
Sd/-
Secretary (SA).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है